

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर रेडियोथेरेपी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. रामेश्वरम शर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा. /2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर रेडियोडायग्नोसिस विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. संगीता सक्सैना	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
2.	डॉ. रीना माथुर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
3.	डॉ. चतुर्भुज प्रसाद स्वर्णकार	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
4.	डॉ. नईमा मन्नान	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा. /2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर जनरल सर्जरी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. लतिका शर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
2.	डॉ. श्याम भूतड़ा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
3.	डॉ. जीवन कांकरिया	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
4.	डॉ. भारती सारस्वत	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
5.	डॉ. गणपत सिंह	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
6.	डॉ. भूपेन सोंग्रा	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
7.	डॉ. लक्ष्मी नारायण	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
8.	डॉ. सिद्धार्थ वर्मा	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
9.	डॉ० सुरेश सिंह दमाच्या	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा. /2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर माइक्रोबायोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. रामेश्वरी बिट्टू	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
2.	डॉ. रेखा बाछीवाल	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
3.	डॉ. गीता टिन्ना	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा./2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


12 5 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर एनाटोमी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. धीरज सक्सैना	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
2.	डॉ.(श्रीमती) सीमा गुप्ता	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
3.	डॉ. आभा भारद्वाज	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
4.	डॉ. राजेश अरोड़ा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
5.	डॉ0 (श्रीमती) रंजना बडजात्या	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
6.	डॉ. मोहन सिंह	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018
7.	डॉ. कविता पाहुजा	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा./2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर टी.बी. एण्ड चेस्ट विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. नीरज गुप्ता	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा. /2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर पी.एण्ड एस.एम. विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. अवतार सिंह दुआ	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
2.	डॉ. रेखा आचार्य	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
3.	डॉ. कीर्ति	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
4.	डॉ. गोवर्धन लाल मीणा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
5.	डॉ. महेश कुमार केसवानी	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा. /2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015


जयपुर, दिनांक : 25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर ई.एन.टी. विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. शिव कुमार	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
2.	डॉ. विजय कुमार मीणा	सह आचार्य	आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा./2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :


25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर शिशु औषध विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. मोहन मकवाना	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018

यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा./2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

